

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

पत्रांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/24

पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-प्र06/द0बि0-नियम-03- 02/2004 2106 (S) दिनांक-07.03.2017 द्वारा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) के नियम 159 (vii) द्वारा 3.5 करोड़ से अधिक की संविदा हेतु प्रधान सचिव/सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति द्वारा अवधि विस्तार/समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2. वर्तमान में रु0 3.5 करोड़ से अधिक की संविदा से संबंधित अवधि विस्तार/समय वृद्धि प्रस्ताव प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें पूर्व के लंबित मामले भी रहते हैं। उक्त की समीक्षा के क्रम में कतिपय ऐसे दृष्टांत पाये गये हैं जिनमें अवधि विस्तार/समयवृद्धि पर समुचित निर्णय लिये जाने के पूर्व योजना से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गयी।

3. सम्यक् विचारोपरांत 3.5 करोड़ से अधिक की संविदा से संबंधित अवधि विस्तार/समय वृद्धि हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु संबंधित अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में समयवृद्धि समीक्षा समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- | | |
|---|--------------|
| i) संबंधित अभियंता प्रमुख | - अध्यक्ष |
| ii) मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना | - सदस्य |
| iii) संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता | - सदस्य |
| iv) संबंधित अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना | - सदस्य सचिव |
| v) संबंधित परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता | - सदस्य |

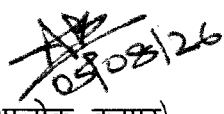
4. समिति द्वारा दिनांक-31.12.2023 एवं इसके पूर्व पूर्ण हुई योजनाओं के समयवृद्धि प्रस्ताव अथवा सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित समयवृद्धि प्रस्ताव की समीक्षा की जायेगी।

5. उपर्युक्त गठित समिति द्वारा विभागीय आदेश सं0-1/PMC/विविध/879/2012-197 दिनांक-14.03.2016 तथा समय-समय पर समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रस्तुत मामले के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा की जायेगा। समीक्षोपरांत गठित समिति के द्वारा अपनी अनुशंसा विभागीय निविदा समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।



6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

7. इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग) महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

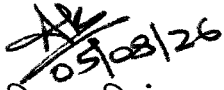

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/26

प्रतिलिपि - सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)/ निदेशक, वाल्मी/ संयुक्त निदेशक, FMISC, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/26

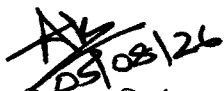
प्रतिलिपि - अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, पटना/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना/ अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास निदेशालय/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/26

प्रतिलिपि - आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/26

प्रतिलिपि - माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II 654

/पटना, दिनांक-05/08/26

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को ई-मेल करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव, अभियंत्रण